मोदी सरकार की एफपीओ योजना से कैसे मिलेगा किसानों को लाभ

मोदी सरकार किसान और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए अगले पांच साल के लिए 5000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्ध बनाने का प्लान केंद्र सरकार कर रही है। इसके लिए उन्हें एक कंपनी बनानी यानी किसान उत्पादक संगठन बनाना होगा। सरकार ने 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की मंजूरी दे दी है।

जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के चित्रकूट से कर दिया है। अगले 5 साल में इस पर 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं। यह संगठन कॉपरेटिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होंगे यानी इन कंपनियों पर कॉपरेटिव एक्ट नहीं लागू होगा। एफपीओ यानी किसानी उत्पादक संगठन (कृषक उत्पादक कंपनी) किसानों का एक समूह होगा, जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएगा। एक समूह बनाकर आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।

आम किसानों को होगा सीधा फायदा-एफपीओ लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा, जिससे उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी

उपज का बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी। अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है, तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यहां बिचौलिए नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक ये 10,000 नए एफपीओ 2019-20 से लेकर 2023-24 तक बनाए जाएंगे। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी।

एफपीओ बनाकर पैसा लेने की शर्तें :

(1) अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम कर रहा है तो कम से कम 300 किसान उससे जुड़े होने चाहिए। यानी एक बोर्ड मेंबर पर कम से कम 30 लोग सामान्य सदस्य हों। पहले 1000 था।

(2) पहाड़ी क्षेत्र में एक कंपनी के साथ 100 किसानों का जुड़ना जरूरी है। उन्हें कंपनी का फायदा मिल रहा हो।

(3) नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज आपकी कंपनी का काम देखकर रेटिंग करेगी, उसके आधार पर ही ग्रांट मिलेगी।

(4) बिजनेस प्लान देखा जाएगा कि कंपनी किस किसानों को फायदा दे पा रही है। वो किसानों के उत्पाद का मार्केट उपलब्ध करवा पा रही है या नहीं।

(5) कंपनी का गवर्नेंस कैसा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कागजी हैं या वो काम कर रहे हैं। वो किसानों की बाजार में पहुंच आसान बनाने के लिए काम कर रहा है या नहीं।

(6) अगर कोई कंपनी अपने से जुड़े किसानों की जरूरत की चीजें जैसे बीज, खाद और दवाईयों आदि की कलेक्टिव खरीद कर रही है तो उसकी रेटिंग अच्छी हो सकती है। क्योंकि ऐसा करने पर किसान को सस्ता सामान मिलेगा।

अभी कितनी किसान कंपनियां- एफपीओ का गठन और बढ़ावा देने के लिए अभी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक काम कर रहे हैं। दोनों संस्थाओं के मिलाकर करीब पांच हजार एफपीओ रजिस्टर्ड हैं। मोदी सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है। इसलिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को भी इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है।

क्यों खास हैं किसान उत्पादक संगठन:

एफपीओ से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को मदद मिलेगी। एफपीओ के सदस्य संगठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे, ताकि प्रौद्योगिकी, निवेश, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच हो सके और उनकी आजीविका तेजी से बढ़ सके। छोटे और सीमांत किसानों की संख्या देश में लगभग 86 फीसद हैं, जिनके पास औसतन 1.1 हेक्टेयर से कम जोत है। इन छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को खेती के समय भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रौद्योगिकी, उच्चगुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और समुचित वित्त की समस्याएं शामिल हैं।

किसान उत्पादक संगठन छोटे पैमाने के उत्पादकों को बिचौलियों का शिकार नहीं बनने में मदद करता है

एक एफपीओ, जैसा कि नाम से पता चलता है, दूधियों, किसानों, मछुआरों, बुनकरों और ग्रामीण हस्तशिल्पियों जैसे उत्पादकों द्वारा बनाई गई एक कंपनी है। निगम उत्पादकों के समग्र विकास और राजस्व पहलुओं को देखता है और यह भी देखता है कि उन्हें जीवन शैली से क्या लाभ दिया जा सकता है।

एक किसान उत्पादक किसानों, ग्रामीण दस्तकारों और मछुआरों, बुनकरों और कृषि कार्यों से जुड़े सभी लोगों को आजीविका को समर्थन और बनाए रखने में मदद करता है। मान लीजिए कि प्राथमिक उत्पादकों के पास स्वयं का एक छत्र जैसा निगम है। उस स्थिति में, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत आय मायने नहीं रखेंगे। एक ही छत्र के नीचे, उनकी सभी मांगें, लाभ और शेयर बढ़ सकते हैं, जो उनके समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं। पीओ किसी भी कृषि किसान की तरह किसी भी प्रकार के उत्पादक के लिए एक सामान्य नाम हो सकता है। छोटे किसान एक संघ बना सकते हैं जहां उनकी जरूरतों, मांगों, विकास और मुनाफे के पैमाने को दिशा दी जानी चाहिए, जिससे वे देश की प्रगति की दिशा में काम कर सकें। इसमें कुछ गैर-कृषि और कुछ कारीगर उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं।

एक किसान उत्पादक संगठन छोटे पैमाने के उत्पादकों को जाल में न फंसने और बिचौलियों का शिकार बनने में मदद करता है। लाभ, मौद्रिक और बचत लाभों की सही मात्रा, जिसके लिए वे हर चीज के हकदार हैं, एफपीओ द्वारा दिया जाता है। एफपीओ किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों का आश्वासन देने और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम करता है कि वे किसी भी प्रकार के काम से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस एफपीओ के साथ, किसान सीधे ग्राहकों के साथ सौदेबाजी करने और अपने उत्पादों को बेचने का आसान तरीका अपना सकते हैं। इससे प्राथमिक उत्पादक-उपभोक्ता संबंध भी बढ़ेंगे।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि गैर-कृषि वस्तुओं के लिए एक उत्पादक निगम भी हो सकता है। यदि कोई गैर-कृषि उत्पादों से संबंधित है, जैसे कारीगर या ग्रामीण हस्तशिल्पी, तो गैर-कृषि उत्पाद निर्माता निगम के दायरे में आएंगे। सभी छोटे गैर-कृषि उत्पादकों का एकत्रीकरण हो सकता है, और मुख्य विचार बेहतर लाभ और आय उत्पन्न करना है। एफपीओ से संबंधित एक व्यक्ति हो सकता है, एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, और एक या एक से अधिक संस्थान या निगम हो सकते हैं जो एफपीओ के मार्गदर्शन में आ सकते हैं। मोबिलाइजेशन, बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रैटेजी आदि से लेकर, एफपीओ का काम किसानों के लिए सर्वोत्तम संभावनाएं सुनिश्चित करने में बहुत आगे जाता है। इसमें एक बेहतर जीवन शैली, राजस्व और लाभ शामिल हैं। बिजनेस प्लानिंग और ऑपरेशनल तरीके लोगों के सामान्य उत्थान को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

एफपीओ के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

यदि आप किसान उत्पादक कंपनी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जा सकते हैं:

उत्पादकों का एक समूह देश के समग्र आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए कृषि से संबंधित या गैर-कृषि गतिविधियों की तलाश करता है जो अनिवार्य रूप से की जाती हैं। यह एक कानूनी और पंजीकृत निकाय है, और कोई भी अनौपचारिक कार्य प्रणाली या लेनदेन इसके हिस्से के रूप में काम नहीं कर सकता है। एफपीओ के मामले में, निर्माता बने रहते हैं और कंपनी के शेयरधारकों के रूप में काम करते हैं। लाभ का हिस्सा सभी उत्पादकों के बीच समान रूप से साझा और वितरित किया जाता है; इसलिए लाभ के हिस्से में कोई रुकावट या कमी नहीं है। उत्पादकों द्वारा लाभ का अपना हिस्सा लेने के बाद, अधिशेष को व्यवसाय की बेहतरी के लिए वितरित किया जाता है और व्यवसाय के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एफपीओ मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पाद और उत्पादक से संबंधित सभी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित है। एक अतिरिक्त बिंदु जिस पर विचार किया जा सकता है वह यह है कि एफपीओ को कौन बढ़ावा देता है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार एफपीओ को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है, जो एफपीओ के समग्र मूल्य और कार्य प्रणाली में जोड़ता है। यहां तक कि एक एनजीओ भी एक किसान उत्पादक कंपनी को बढ़ावा दे सकता है यदि वह व्यवहार्य मझे।

एफपीओ किसानों की मदद कैसे करता है?

एफपीओ का काम है कि वह किसानों के समग्र विकास पर ध्यान दे ताकि वे किसी भी समय ठगे न जाएं। किसान की चिंता के समग्र विकास की जांच करना भी एफपीओ का काम है। वे सहकारी समिति अधिनियम या पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम की वैधता के तहत काम कर सकते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र बेहतरी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

एफपीओ के रूप में पंजीकरण के लिए विवरण भरते समय, एजेंडा और कार्यप्रणाली को बहुत स्पष्ट रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। साथ किसानों पर किसी सरकारी नियंत्रण को देखता है, राजस्व को एक अस्थायी हिस्से में कैसे बनाया जा सकता है, विभिन्न सक्रिय और उपयोगी चैनलों के माध्यम से राजस्व का वितरण कैसे किया जा सकता है आदि। क्लस्टर-आधारित व्यवसाय इकाई जिसे अचानक भंग नहीं किया जा सकता है। कुछ नियम और कानून एफपीओ के कामकाज को नियंत्रित करते हैं; यह किसानों के अधिकार और हिस्से के बारे में सही शिक्षा और सूचना साझा करने और उनकी बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

किसान उत्पादक कंपनियों के क्या लाभ हैं

आम तौर पर, जब एफपीओ काम करता है, तो यह एक जिला उत्पाद के तंत्र के तहत काम करता है ताकि किसानों की उपज और बेचने वाली वस्तुओं के हिस्से के रूप में संतुलन बनाने में कोई भ्रम न हो। इसके अलावा, यह देखना एफपीओ का काम है कि किसी भी किसान के लाभ से किसी नस्लीय, जातीय, मौद्रिक, धार्मिक या राजनीतिक आधार पर समझौता नहीं किया जाता है। वे बड़ी संख्या में अन्य देशों को उचित मूल्य पर वस्तुओं के प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात में भी मदद करते हैं। इसके अलावा, उनका काम अधिकांश कॉरपोरेट्स के साथ बेहतर शर्तों पर बातचीत करना भी है जो किसानों को लाभ और लाभ पहुंचाते हैं। जब एफपीओ कार्यभार संभालता है तो किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है।

निष्कर्ष: कुछ कानून एफपीओ के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। एफपीओ को किसानों की बेहतरी के लिए अच्छी तरह से काम करना चाहिए, और खेती के उत्पादों को बढ़ावा देने, बेचने और वितरित करने और उनके बीच मुनाफे को साझा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही, यह भी एफपीओ का काम है कि वह किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति का ध्यान रखे जो किसानों या किसानों के समूहों के विकास में बाधा या देरी कर सकती है।

एफपीओ के गठन, काम करने और लाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप सबसे अधिक जानकारी देने वाला प्लेटफॉर्म वकिलसर्च देख सकते हैं। यह आपको एक संक्षिप्त विचार देता है कि एफपीओ कैसे काम करता है और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलता है।